

सिविल सर्विसेज ऑफिसर को—ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी, धुर्वा, राँची।

दिनांक 15.12.2024 को आहूत वार्षिक आम सभा की बैठक की कार्यवाही

दिनांक 15.12.2024 को आहूत वार्षिक आम सभा की बैठक सांगा गाँव में स्थित सोसाईटी के भूमि पर आयोजित की गयी थी, जिसमें कुल 93 सदस्य एवं उनके परिवार के सदस्य एवं सदस्य के द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए। उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति पंजी की छाया प्रति संलग्न किया जा रहा है।

आम सभा की बैठक श्री आर०पी०सिंह की अध्यक्षता में प्रारम्भ किया गया, जिसमें अध्यक्ष ने सदस्यों को सम्बोधित करते हुए सोसाईटी की वस्तु स्थिति से अवगत कराया, जिसमें पुनः प्लॉट आवंटन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसपर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि सोसाईटी द्वारा 78.32 एकड़ भूमि खरीदी गयी थी, जिसमें 33.34 एकड़ भूमि आवासीय योग्य पाया गया, इसलिए पूर्व में आवंटित 7820 स्क्वायर फीट भूमि प्रति सदस्य को घटाकर 6000 स्क्वायर फीट प्रति सदस्य करना पड़ा। सभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए लॉटरी के माध्यम से प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी।

प्रस्ताव संख्या 1 – रि-प्लॉटिंग एवं पुनः आवंटन – पूर्व में किए गए प्लॉटिंग में कुछ त्रुटियाँ थी, जिसमें कई प्लॉट चट्टान एवं पहाड़ी के उपर था तथा आन्तरिक सड़क का ले-आउट भी सही नहीं था, इसलिए आन्तरिक सड़क के निर्माण के पश्चात प्लॉटिंग किया गया। श्री अरुण कुमार, वास्तुविद्द द्वारा रि-प्लॉटिंग के आवंटन की आवश्यकता के सम्बन्ध में सभी सदस्यों को विस्तार पूर्वक बताया गया। दिनांक 08.01.2023 को हुई जी०बी०एम० की बैठक में इन सभी मामलों पर विचार करने के पश्चात आहूत आम सभा में निर्णय लिया गया कि पूर्व के जो भी प्लॉट आवंटित किए गए हैं, उन सभी आवंटन को रद्द करते हुए नए सिरे से लॉटरी के माध्यम से पूर्व में अपनायी गयी विधि के अनुसार प्लॉटों का पुनः आवंटन किया गया। इसकी कार्यवाही दिनांक 15.12.2024 को पूर्ण की गयी।

प्रस्ताव संख्या 2 — प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया एवं लॉटरी की विधि:—

(क) 3 पारदर्शी जार रखे गये, प्रथम जार में 10 कपल सदस्य का नाम का पर्ची डाला गया। द्वितीय जार में देने योग्य प्लॉटों (238) की पर्ची डाली गयी। तृतीय जार में 216 एकल सदस्यों के नाम एवं सदस्य संख्या की पर्ची डाली गयी। प्रथम जार से सदस्य के परिवार के सदस्य/अभियंता के द्वारा पर्ची निकाली गयी, उसके पश्चात द्वितीय जार से आवंटित प्लॉट संख्या की पर्ची निकाली गयी। 20 प्लॉट 10 कपल सदस्यों के लिए आवंटन के पश्चात 216 सदस्यों की पर्ची एवं प्लॉटों की पर्ची बारी-बारी से निकाली गयी। इस प्रकार कुल 236 प्लॉट का लॉटरी द्वारा आवंटन किया गया। लॉटरी की निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु झारखण्ड टेक्नीकल विश्वविद्यालय, राँची के कुलपति प्रो० (डा०) डी०के०सिंह को आमंत्रित किया गया। साथ में सहकारिता विभाग के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। पुरी प्रक्रिया का विडियोग्राफी भी कराया गया।

(ख) लॉटरी के पश्चात प्रत्येक सदस्य या उनके द्वारा चयनित प्रतिनिधि के द्वारा आवंटन पंजी पर हस्ताक्षर किया गया।

(ग) औपचारिक आवंटन प्रपत्र 20 फरवरी, 2025 के पश्चात प्रत्येक सदस्यों को दे दी जाएगी।

प्रस्ताव संख्या 3 — प्लॉट आवंटन के पश्चात डीड रेक्टिफिकेशन के माफत सदस्यों को पुराने रजिस्टर्ड डीड में सुधार करते हुए निबंधन की कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए जो भी शुल्क देय होगा, उसका व्यय सोसाईटी द्वारा किया जाएगा।

प्रस्ताव संख्या 4 — सिविल सर्विसेस ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव सोसाईटी लि० के 2 सदस्य श्री संजय कुमार, भा०प्र०से० एवं श्री महेश्वर पात्रा, भा०प्र०से० के द्वारा लम्बित विकास शुल्क दिनांक 15.12.2024 को जमा कर दिया गया।



Sl. No.	Name	Cadre	M/S No.	Alloted Plot no.	Dues	Remarks
1	Smt. Nirmal Kaur	IPS	38	131	1,84,000.00	+ Penal interest
2	Shri M.V.Rao	IPS	47	159	1,74,000.00	+ Penal interest
3	Shri P.S.Natrajan	IPS	90	192	1,74,000.00	+ Penal interest
4	Shri Nandu Prasad	IPS	101	87	1,74,000.00	+ Penal interest
5	Shri S.P. Kushwah	IAS	198	95	54,000.00	+ Penal interest
6	Smt. Sheela Kisku Rapaj	IAS	201	73	1,74,000.00	+ Penal interest
7	Shri Avinash Kumar	IAS	221	122	1,50,000.00	+ Penal interest
8	Shri Mahendra Kardam	IFS	226	52	10,000.00	+ Penal interest
9	Shri Pankaj Kumar	ITS	259	27	35,500.00	+ Penal interest
Total					11,29,500.00	

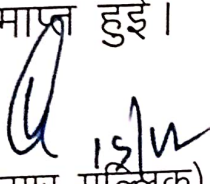
उपरोक्त जिन सदस्यों के द्वारा विकास शुल्क निर्धारित समय तक जमा नहीं किया जाएगा उनको आवंटन पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 2 माह अर्थात् 15.2.2024 तक का समय दिया गया है। यदि निर्धारित समय तक सदस्य के द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी एवं उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी राशि उन्हें वापस कर दिया जाएगा।



प्रस्ताव संख्या — 5 — वर्तमान में समिति के पास लगभग रु. 3,00,00,000 /— (तीन करोड़) विकास कार्य हेतु उपलब्ध है, परन्तु विकास कार्य हेतु अनुमानित राशि लगभग 8.00 करोड़ की आती है। इसके लिए सभी सदस्यों से रु. 2.50 लाख रुपये विकास मद में लेने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त राशि दो किस्तों में पहली किस्त 1,50,000 /— (रुपये एक लाख पचास हजार) 31 मार्च 2025 एवं दूसरी किस्त 1,00,000 /— (रुपये एक लाख) 30 जून, 2025 तक सोसाईटी के स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया, हटिया, राँची के बचत खाता संख्या 11026363260 IFSC code SBIN0000207 में जमा किया जा सकता है। 1 जुलाई, 2025 के पश्चात यह विकास शुल्क जमा नहीं करने की स्थिति में माननीय सदस्यों द्वारा 12% के दर वार्षिक ब्याज देय होगा।

सभी सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि राशि जमा करने के पश्चात जमा की गयी राशि का विवरण WhatsApp के माध्यम से देंगे ताकि पावती दिया जा सके।

श्री सिद्धार्थ त्रिपाठी ने उपस्थित सभी सदस्यों, परिवार के सदस्यों एवं सदस्यों के प्रतिनिधियों को धन्यवाद ज्ञापित किया, तत्पश्चात वार्षिक आम की कार्यवाही समाप्त हुई।


(राज कुमार मल्लिक)
सचिव

सिविल सर्विसेस ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी

राँची
Vice-President
CSO Co-operative Housing Society Ltd.


(अनुरा पीओ सिंह)

अध्यक्ष

सिविल सर्विसेस ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी

राँची
President
CSO Co-operative Housing Society Ltd.